...यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

...0 33/18

तारीखरजूः–25.06.2018

उनवानः– रूमेल आदि बनाम कलुआ वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

...ांक	फर्द अहकाम	
...018	प्रार्थी की और से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट एवं प्रार्थना पत्र वावत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा आर.टी. एक्ट 212 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी,शपथ पत्र, का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संबध मे बहस की सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणो के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणो को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तिथि तक पाबन्द किया जाता है। कि देवलेन मे आराजी भूमि ख0न0 101/0.17, 105/0.16, 105/2626/0.08, 106/2623/0.16, 107/0.01, 108/1.45, 108/2625/0.38, 109/0.72, 109/2624/ 0.12, 110/0.24, 2540/2530/0.16, 2381/0.04, 2382/2525/0.08/ कुल किता 14 रकवा 3.94 है0 मे सायलान के हिस्से मे रिकार्ड एवं मौके की स्थिति आगामी तिथि तक यथास्थिति बनाए रखे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी कर तलब करे। पत्रावली दिनांकः– **20.07.2018** को पेश हो। उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	23/0-12 25/6/18
20.7.18	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उप० नहीं। P.O. साहब बाहर पधारे है आईन्दा दि० 17.8.18 को पेश हो।	
17.8.18	अवकाश वकुलाब उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 12.9.18 को पेश हो।	
12.9.18	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली मीटिंग मे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 12.10.18 को पेश हो।	
12.10.18	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक ~~21-11-18~~ को पेश हो। पुनश्च: अप्रार्थी नं. 1,2 की ओर से श्री हेतराम गुर्जर Adv. ने वकालतनामा पेश किया दि० 21-11-18 को पेश हो।	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

23.8.19 – अवकाश घोषित

26/8/19 वकुलाय अस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली मतानुसार दिनांक 12-9-19 को पेश हो।

12.9.19 वकुलाय अस्थित/पीठासन अधिकारी बाहर पधारे है। अतः पत्रावली मतानुसार दिनांक 14-10-19 को पेश हो।

14.10.19 वकुलाय उप०/जवाब पेश करने बाबत एक मौका और चाहा। सुनकर न्यायहित में एक मौका दिया जाता है जवाब पेश करने दिनांक 18-11-19 को पेश हो।

18-11-19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं। कईबार रुक-रुक कर आवाज दिलवाई गई। फिर भी प्रार्थीगण व प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं है अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 15:40:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: